

## चौकों के अन्तर्गत शासन — (ग्राम शासन)

चौकों की शासन व्यवस्था में स्थानीय शासन का प्रमुख स्थान था। उसकी शासन व्यवस्था वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था के समकक्ष थी। जो कि लोकतांत्रिक आधारों पर स्थापित की गयी थी।

उत्तर में से प्रांतिक कालीन 919 से 929 ई० के लेखों के आधार पर ग्राम सभा की कार्यकारी समितियों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है।

प्रत्येक ग्राम में अपनी सभा होती थी जो केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से ग्राम शासन का संचालन करती थी।

ग्राम में दो प्रकार की संस्थाएँ थीं —

(1) उर - सामान्य मनुष्यों की संस्था थी, सभी ग्रामवासी सम्मिलित होते थे। उर की कार्य समिति को 'गणम' कहा जाता था। कहीं-कहीं एक ही ग्राम में दो 'उर' संगठन काम करते थे।

(2) सभा या महासभा - यह उग्रहार ग्रामों में होती थी। इसे ग्रामों को ब्रह्मदेय या भंगलम भी कहा जाता था। इन ग्रामों में मुख्यतः

विद्वान् ब्राह्मण निवास करते थे। कौची तथा मद्रास क्षेत्रों में ऐसी कई सभाएँ थीं। सभा मुख्यतः समितियों के माध्यम से काम करती थी। इसे वारियम कहा गया है। तमिल में इस शब्द का अर्थ आय है।

वारियम को मंदिर का प्रबंध करने, देवभूमि का प्रशासनिक विवरण देने एवं उसकी सौभाग्य लेखने का कार्य दिया गया था। वारियम के सदस्यों को कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता था।

कभी कभी एक ही ग्राम में उर तथा सभाये दोनों ही संस्थाएँ कार्य करती थीं। जिन स्थानों में पहले सेवस्त्री की वाद में दान दे दी गयी वहाँ दोनों उर, सभा कार्य करती थीं।

ग्राम सभा की बैठकें प्रायः मंदिरों एवं भंडारों में होती थीं।

समुदाय एवं निगम -

ग्राम सभा के जातिरिक्त गाँव में कई ~~समुदाय~~ संघ निगम होते थे। ये सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक प्रकृति के थे। इसका अधिकार किसी कार्य विशेष तक ही सीमित होता था। समुदाय पर ग्राम सभा का ही नियंत्रण होता था। शिव पुजारियों को शिव ब्राह्मण तथा वैष्णव पुजारियों को 'बैखानस' कहा जाता था।

बोले स्थानीय प्रशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य था ग्रामों को पर्याप्त प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करना। केन्द्रीय शासन अनावश्यक शक्रे क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करती थी।

नीचकेंद्र शास्त्री -

एक योग्य नेकरशाही तथा सक्रिय स्थानीय संस्थाओं के बीच जो विविध प्रकार से नागरिकता की भावना का पोषण करती थी, शासन निपुणता तथा शुद्धता का एक उच्च स्तर प्राप्त कर लिया गया था जो किसी हिन्दू राज्य द्वारा प्राप्त सर्वोच्च स्तर पर था।